संख्या-7/2018/1063/77-3-18-16(बजट)/2016

प्रेषक,

सीताराम यादव,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
यूपीडा, पर्यटन भवन, गोमतीनगर,
लखनऊ ।

औद्योगिक विकास अनुभाग-3 **लखनऊ:दिनांक: 15 मार्च, 2018**

विषय:- यूपीडा द्वारा पूर्वान्चल एक्सप्रेसवे परियोजना हेतु परियोजना विकास परामर्शी शुल्क के भुगतान के लिए वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-4296/यीपूडा/18, दिनांक 14.03.2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2. इस संबंध में निर्गत शासनादेश संख्या--3/2018/2846/77-3-18-16(बजट)/2016, दिनांक 28.02.2018 के आंशिक संशोधन में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-7 के लेखाशीर्षक-"2852-उद्योग-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-12-लखनऊ से आजमगढ़ के रास्ते बलिया तक एक्सप्रेसवे परियाजना-16-व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान" मद में प्राविधानित धनराशि रू0 1.10 करोड़(रूपये एक करोड़ दस लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गई ।

3. उपरोक्त संबंध में सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि उक्त शासनादेश के प्रस्तर-2 में उल्लिखित शर्त-'धनराशि आहरित कर डिपाजिट खाते में रखी जायेगी। उक्त धनराशि का डिपाजिट खाते से आहरण केवल तात्कालिक आवश्यकता के अनुसार ही किया जायेगा', के स्थान पर 'उक्त धनराशि का आहरण केवल तात्कालिक आवश्यकता के अनुसार ही किया जायेगा', पढा जाये।

4. अत: शासनादेश संख्या-3/2018/2846/77-3-18-30(बजट)/2017, दिनांक 28.02.2018 उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाये। शासनादेश में उल्लिखित अन्य शर्ते यथावत रहेंगी।

भवदीय,

(सीताराम यादव)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

<u>संख्या-7/2018/1063(1)/77-3-18-तददिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार,(लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद
3. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6/औद्योगिक विकास अनुभाग-2।
6. वित्त (आय-व्ययक्) अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-4 ।
7. गार्ड पत्रावली।

आज्ञा से,

(सीताराम यादव)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।